

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन

इन्दौर -452001

दिनांक

25 AUG 2017

क्रमांक - स्था/2017/1441

// आदेश //

दिनांक 03.08.2017 को सम्पन्न कार्यपरिषद की बैठक में विषय क्र. 35 के संबंध में लिये निर्णय के अनुसार स्ववित्त संस्थानों/अध्ययनशालाओं में स्ववित्त अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों से संबंधित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही संबंधित विभाग के निदेशक /विभागाध्यक्ष द्वारा शीघ्र सम्पन्न की जावे। (निर्णय की प्रति संलग्न है)

आपके द्वारा की गई कार्यवाही से स्थापना विभाग को भी अनिवार्य रूप से तत्काल अवगत करावें। ताकि उप श्रमायुक्त कार्यालय को तदनुसार सूचित किया जा सके।

कुलपतिजी के आदेशानुसार,

स्थान -

कुलसचिव

दिनांक - 25 AUG 2017

पृ.क. स्था/2017/1441

प्रतिलिपि -

- 1 निदेशक/विभागाध्यक्ष, समस्त स्ववित्त संस्थान/अध्ययनशालाएं, दे.अ.वि.वि., इन्दौर कृपया आपके अधीन कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- 2 अधिकारीगण, समस्त उप विभाग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर।
- 3 वित्त नियंत्रक, लेखा विभाग अंकेक्षण(बाह्य) उपविभाग,
- 4 वेतन पत्रक शाखा केंद्रीय स्ववित्त प्रकोष्ठ, तक्षशिला परिसर
- 5 सहायक कुलसचिव केन्द्रीय कार्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर।
- 6 कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिवजी के निज सहायक/रेकार्ड नस्ती
- 7 अनुविभागीय अधिकारी (प्रशासन) कार्यपरिषद के पालन प्रतिवेदन हेतु।
- 8 अध्यक्ष/महासचिव, स्ववित्त संस्थान कर्मचारी(गैर शिक्षक) संघ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव(स्था.)

25/08/17
Consultant-S.Fu.